अध्याय III
मूल्य निर्धारण नीति तथा वस्तुओं की गुणवत्ता

लेखापरीक्षा के उद्देश्य - बाजार दरों की तुलना में कम मूल्य से उपभोक्ताओं की पर्याप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए अच्छी गुणवत्ता युक्त वस्तुएं सेवा कार्मिकों को उपलब्ध करवाए जाने का मूल्यांकन करना।

3 मूल्य निर्धारण नीति

सीएसडी का मुख्य उद्देश्य बाजार दरों की तुलना में सस्ते दरों पर उच्च गुणवत्तायुक्त वस्तुओं को सैनिकों तक मुहैया करवाना है। मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 1977 में जारी मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, विक्रय मूल्य "इन्टो वेअरहाऊस कॉस्ट" पर निर्भर करता है जिसमें लगभग एक से बारह प्रतिशत के मुनाफों के अलावा आवक किराया, ढुलाई शुल्क, बीमा एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। सीएसडी द्वारा चित्रात्मक रूप में कीमत-सूची, जिसमें वस्तुओं के फोटोग्राफ एवं मूल्य शामिल होते है, को वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाता है। मूल्य सूची की पुनरीक्षण दर्शाती है कि उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य के मुकाबले सस्ती कीमतों पर उपभोक्ता सामान उपलब्ध कराने में सीएसडी काफी सक्षम रहा है। तथापि, कई मामलों में मूल्य नीति का गलत लागू करना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया जिसकी नीचे चर्चा की गई है।

3.1 अनुचित तरीके से वस्तुओं/चीजों की कीमतों का निर्धारण किया जाना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मूल्य नीतियों के गलत उपयोग के कई मामले देखे गए। लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई कमियों/दोष को ध्यान में लेते हुए, पीएसी ने अपने 48वीं प्रतिवेदन में सिफारिश की कि वास्तविक लागत खर्च तथा मौजूदा कर प्रावधानों को विचार में लेते हुए सही एवं पारदर्शी तरीके से वस्तुओं/चीजों के मूल्य को निर्धारण करने के लिए मंत्रालय को सीएसडी पर दबाव डालना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं तक आशयित लाभ पहुँचाया जा सके।

तदनुसार, जनवरी 2013 में सीएसडी ने कीमतों की संरचना में किराए एवं पैकेजिंग तत्व में कमी का प्रस्ताव दिया जिसे जनवरी 2014 में सीडीए (सीएसडी) द्वारा सहमति मिली जैसा कि तालिका 5 में ब्योरेवार दिया गया है:

तालिका 5:- मूल्य नीति के घटकों में कमी की स्टेटमेंट

क्रमांक सं.	घटक	विद्यमान	सीएसडी द्वारा दिया गया सुझाव	सीडीए (सीएसडी) द्वारा सहमति
1	किराया			
अ)	समान्य भंडार	1%	0.50%	0.50%
ब)	शराब	₹ 25.10 प्रति केस	₹ 10.00 प्रति केस	₹ 11.00 प्रति केस
2	पैकेजिंग (शराब सामग्री)	₹ 1.50 प्रति केस	शून्य	वर्णित नहीं किया

तथापि, हमने देखा कि उपरोक्त कमी के प्रस्ताव को बीओसीसीएस द्वारा अभी मंजूरी मिलना बाकी (मार्च 2016) था, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रभार लेना जारी रहा। इसके अतिरिक्त, सीएसडी ने मूल्य निर्धारण ढाँचे में @ 0.10 प्रतिशत बीमा के घटक को किसी भी प्रकार की राशि खर्च किए बिना शामिल किया। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान इस तरह अतिरिक्त भारित राशि ₹ 419.00 करोड़ बनती है, जिसे नीचे तालिका 6 में ब्योरेवार दिया गया है:

तालिका 6:- संशोधित दरों की मंजूरी में विलंब के कारण एकत्रित की गई अतिरिक्त राशि के ब्यौरे (2010-11 से 2015-16)

(₹ करोड़ में)

क्र .सं	मूल्य घटक	एकत्रित की गई राशि	प्रभारित की जाने के लिए सीडीए द्वारा सहमति की गई राशि	एकत्रित की गई अतिरिक्त राशि
1	बीमा	54.28	0	54.28
2	सामान्य भंडारों पर किराया प्रभार	464.92	232.46	232.46
3	शराब पर किराया प्रभार	214.01	93.79	120.22
4	बियर पर पैकेजिंग प्रभार	0.50	0	0.50
5	अन्य प्रकार की शराब पर पैकेजिंग प्रभार	11.54	0	11.54
	कुल			419.00

इसके उत्तर में (जुलाई 2016) सेना मुख्यालय में क्यूएमजी शाखा ने बताया कि बीओसीसीएस/ एमओडी से मंजूरी मिलने के पश्चात उपरोक्त अतिरिक्त घटकों को मूल्य की संरचना से निकाल दिया जाएगा। मंजूरी में हुए विलंब के फलस्वरूप उपभोक्ताओं पर अधिक भार जारी रहा।

3.1.1 क्लियरिंग प्रभार

सीएसडी को वस्तुओं की आपूर्ति 'गंतव्य के लिए' शर्त के अनुसार है जिससे यह सूचित होता है कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यातायात एवं सामग्रियों को उतारने के प्रभारों को वहन किया जाएगा। यद्यपि, यह देखा गया कि वितरणी की उपरोक्त शर्तों के बावजूद, सीएसडी को वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त भंडारों को उतारने के लिए ₹ 8.64 करोड़ की राशि को खर्च करना पड़ा। हालाँकि, इस तरह के व्यय का उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ताओं का था, सीएसडी ने ₹ 0.30 प्रति

केस की दर से उपभोक्ताओं पर इसके एक हिस्से को भारित किया जिसके फलस्वरूप 2014-15 वर्ष के अंत होने तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान ₹ 2.13 करोड़ रुपए प्राप्त किए।

उत्तर में, सीएसडी ने बताया (दिसंबर 2015) कि डिपो में मजदूरी उपबंध 1 अप्रैल 2015 से खत्म हो चुकी थी एवं डिपो में अभारित करने की लागत को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन किया जा रहा था। तथापि, हमने देखा कि क्लियरिंग प्रभार के रूप में सीएसडी ने ₹ 0.30 प्रति केस की दर से प्रभारों को जारी रखा एवं वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 42.51 लाख राशि को जमा किया। इस प्रकार बिना किसी खर्च के, जो कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन किया गया, उपभोक्ताओं पर किल्यरिंग का प्रभार अवांछित बोझ के रूप में पड़ा।

डीडीजीसीएस ने (जुलाई 2016) बताया कि किल्यरिंग प्रभारों की समाप्ति से संबंधित मामले को लिया गया है एवं यह बीओसीसीएस/एमओडी के अनुमोदन के लिए प्रतीक्षित है। अनुमोदन में विलंब के फलस्वरूप उपभोक्ताओं पर अति भार जारी रहा।

निष्कर्ष 5:-

मूल्य संरचना में बीमा प्रभार, किराया प्रभार, किल्यरिंग प्रभार को खर्च से अधिक भारित करने के कारण सस्ते दरों पर वस्तुओं को मुहैया करवाने के लाभ में कमी आई है।

3.1.2 सीएसडी में शराब की कीमतों के निर्धारण में अनियमितता

कई राज्य सरकारों ने सीएसडी को शराब आपूर्ति के लिए आबकारी शुल्क की रियायती दरों पर अनुमति प्रदान की है। राज्य सरकारों की अधिसूचना के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं, सीएसडी या यूआरसी द्वारा आबकारी शुल्क का भुगतान किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर जिन राज्यों में आबकारी शुल्क का भुगतान किया जाता है, को ब्योरेवार नीचे दर्शाया गया है:

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आबकारी शुल्क	-	उत्तर प्रदेश
यूआरसी द्वारा आबकारी शुल्क	-	हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम एवं मध्य प्रदेश
सीएसडी डिपो द्वारा आबकारी शुल्क	-	शेष सभी राज्य

अक्तूबर 1977 में एमओडी द्वारा जारी की गई मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, शराब सहित सभी वस्तुओं का आधारभूत मूल्य पूरे भारतवर्ष में एक समान होना चाहिए एवं स्थानीय कर जैसे कि आबकारी, बिक्री कर एवं चुंगी कर सूचीबद्ध मूल्य के अतिरिक्त होंगे। हमने विभिन्न डिपो में शराब की कीमतों में भारी असमानता देखी। पाँच चयनित वस्तुओं में मार्च 2016 की कीमतों में असमानता 2.35 एवं 212.87 प्रतिशत के बीच रही, जिसे नीचे तालिका 7 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 7:- सीएसडी द्वारा निर्धारित शराब संबंधी वस्तुओं की थोक एवं खुदरा कीमतें

सूचकांक सं. तथा नाम	राज्य[11]	थोक दर प्रति बोतल					खुदरा दर प्रति बोतल				
		जम्मू कश्मीर	महा राष्ट्र	तामिल नाडु	उत्तर प्रदेश	केरल	जम्मू कश्मीर	महा राष्ट्र	तामिल नाडु	उत्तर प्रदेश	केरल
79194**विस्की रायल चैलेंज**	दर	262.53	335.25	205.06	393.60	167.85	288.80	368.80	225.60	433.00	184.60
	% भिन्नता	56.41	99.73	22.17	134.50	एल	56.45	99.78	22.21	134.56	एल
78172 **रम मैक डॉवल** XXX	दर	123.61	63.50	60.77	189.98	62.23	136.00	69.90	66.80	209.00	68.50
	% भिन्नता	103.41	4.49	एल	212.62	2.35	103.59	4.64	एल	212.87	2.54
79230 **विस्की ब्लेंडरर्स प्राईड**	दर	287.73	371.73	230.08	541.94	193.13	316.60	408.90	253.10	596.10	212.40
	% भिन्नता	49.03	92.48	19.13	180.61	एल	49.06	92.51	19.16	180.65	एल
76010 **एस/विस्की टीचर्स एच**	दर	550.85	743.55	492.63	910.26	458.33	605.90	817.90	541.90	1001.30	504.20
	% भिन्नता	20.19	62.23	7.48	98.60	एल	20.17	62.22	7.48	98.59	एल
79061**ब्रांडी हॉनी बी**	दर	129.82	115.79	91.86	197.70	66.25	142.80	127.40	101.00	217.50	72.90
	% भिन्नता	74.78	49.54	38.66	198.42	एल	95.88	74.76	38.55	198.35	एल

एल- न्यूनतम मूल्य जिसके उपर अंतर को परिकलित किया गया

जबकि एक कारण में राज्य सरकारों द्वारा आबकारी शुल्क की विभिन्न दरों को उत्तरदायी ठहराया गया, यह भिन्नता आबकारी शुल्क पर सीएसडी लाभ (12 प्रतिशत) और यूआरसी लाभ (11.2 प्रतिशत का प्रभावी मुनाफ़ा) के कारण और बढ़ गई। शुल्क एवं करों पर इस मुनाफ़े को जोड़ने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। यदि आबकारी शुल्क पर मुनाफ़े को न जोड़ा जाता तो उपभोक्ताओं को 0.55 से 14.46 प्रतिशत तक का कम भुगतान करना पड़ता जैसा कि नीचे तालिका 8 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 8: आबकारी शुल्क पर मुनाफे को प्रभार के कारण शराब पर अति भार

सूचकांक	सीएसडी द्वारा निर्धारित की गई खुदरा दर	लेखापरीक्षा में निकाला गया खुदरा दर	प्रभारित की गई अतिरिक्त राशि	अति भार प्रभार (प्रतिशत)	गंतव्य राज्य
79194 **विस्की रायल चैलेंज**	288.80	267.90	20.90	7.24	जम्मू कश्मीर
	368.80	329.94	38.86	10.54	महाराष्ट्र
	225.60	214.47	11.13	4.93	तमिलनाडु
	433.00	381.94	51.06	11.79	उत्तरप्रदेश
	184.60	181.89	2.71	1.47	केरल
78172 **रम मैक डॉवल** XXX	136.00	121.61	14.39	10.58	जम्मू कश्मीर
	69.90	65.94	3.96	5.67	महाराष्ट्र
	66.80	63.97	2.83	4.24	तमिलनाडु
	209.00	178.77	30.23	**14.46**	उत्तरप्रदेश
	68.50	65.71	2.79	4.07	केरल
79230 **विस्की ब्लेंडरर्स प्राईड**	316.60	295.74	20.86	6.59	जम्मू कश्मीर
	408.90	367.65	41.25	10.09	महाराष्ट्र
	253.10	242.00	13.10	5.18	तमिलनाडु
	596.10	519.62	76.48	12.83	उत्तरप्रदेश
	212.40	209.70	2.70	1.27	केरल

[11]राज्य जहाँ आबकारी शुल्क का भुगतान यूआरसी द्वारा की जाती है, पर विचार नहीं किया गया।

76010 **एस/विस्की टीचर्स एच**	605.90	585.06	20.84	3.44	जम्मू कश्मीर
	817.90	756.10	61.80	7.56	महाराष्ट्र
	541.90	530.79	11.11	2.05	तमिलनाडु
	1001.30	904.11	97.19	9.71	उत्तरप्रदेश
	504.20	501.42	2.78	**0.55**	केरल
79061**ब्रांडी हॉनी बी**	142.80	128.44	14.36	10.06	जम्मू कश्मीर
	127.40	113.42	13.98	10.97	महाराष्ट्र
	101.00	92.56	8.44	8.36	तमिलनाडु
	217.50	186.45	31.05	14.28	उत्तरप्रदेश
	72.90	70.13	2.77	3.80	केरल

***प्रति बोतल**

स्थानीय उगाही (आबकारी शुल्क) पर इस तरह मुनाफों के भार के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 680.31 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। इसमें से, ₹ 351.89 करोड़ की राशि को व्यापार अधिशेष के रूप में सीएसडी लेखों में लिया गया एवं यूआरसी को ₹328.42 करोड़ की शेष राशि का मुनाफ़ा हुआ जिसे रेजिमेंटल निधि में हस्तांतरित किया गया जैसा कि नीचे तालिका 9 में ब्योरेवार दर्शाया गया है:

तालिका 9: आबकारी शुल्क पर सीएसडी एवं यूआरसी द्वारा प्रभार किए गए मुनाफ़ों के ब्योरे

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	आबकारी शुल्क का भुगतान	सीएसडी द्वारा आबकारी शुल्क पर भारित 12 प्रतिशत की दर से मुनाफ़ा	यूआरसी द्वारा शुल्क पर भारित प्रभावी 11.2 प्रतिशत मुनाफ़ा
2010-11	347.87	41.74	38.96
2011-12	430.86	51.70	48.26
2012-13	462.54	55.50	51.80
2013-14	521.98	62.64	58.46
2014-15	548.97	65.88	61.48
2015-16	620.22	74.43	69.46
Total	2932.44	351.89	328.42

संयोगवश, जिन राज्यों में आबकारी शुल्क को यूआरसी द्वारा भुगतान किया गया था, वहाँ यह देखा गया कि यूआरसी द्वारा भुगतान की गई आबकारी शुल्क पर मुनाफों को भारित किए बिना विक्रय की कीमत को निर्धारित किया गया जिससे कि, कीमत की निर्धारण में भिन्नता दिखाई दी। सीएसडी ने अपने उत्तर में मुनाफे के आबकारी शुल्क पर भारित होने के लेखापरीक्षा तर्क को दर्ज किया, तथापि, यह बताया कि सभी ब्रॅण्डों के लिए विक्रय कीमतों को नए सिरे से बनाना, कीमत संशोधन परिपत्रों को संकलन करना तथा उसे जारी करने के लिए अत्यधिक समय लगता है क्योंकि प्रत्येक ब्रॅण्ड की शराब की कीमत राज्यवार परिकलित की जाती है। चूँकि यह मामला लाभार्थियों को सस्ती कीमतों पर वस्तुओं के प्रदान करने से जुड़ा हुआ है, सीएसडी को शराब की मूल्य संरचना में परिवर्तन करने की शीघ्र आवश्यकता है।

निष्कर्ष 6:

सीएसडी द्वारा आबकारी शुल्क जो कि एक स्थानीय कर है और प्रत्येक राज्य के अनुसार भिन्न है पर मुनाफ़ों को भारित करने से, मूल्य निर्धारण नीति में परिकल्पित स्थानीय लेवी को छोड़कर देश

भर में कीमतों की बिक्री की एकरूपता को हासिल नहीं किया जा सका। इसलिए कीमत में आई भारी असमानता में कमी लाने के लिए आबकारी शुल्क पर मुनाफ़ों के भारित को पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

3.2 कीमतों के संशोधन में अनियमितता के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ

लेखापरीक्षा के दौरान कीमतों के संशोधन में विसंगतियों के मामले एवं उसका उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है:

3.2.1 कीमत में भिन्नताओं को निगरानी करने के लिए तंत्र का अभाव

सीएसडी की कीमत निर्धारण की नीतियों के अनुसार, यदि स्थानीय मार्केट में सामग्री की कीमत घटती है स्थानीय मार्केट में सामग्री की घटाई गई कीमत की तिथि के प्रभाव से सीएसडी के लिए की गई आपूर्तिओं में भी इस तरह का घटाव अपने आप लागू हो जाएगा तथा राशि में आई भिन्नता आपूर्तिकर्ताओं के लिए डेबिट हो जाएगी। कीमत में बढ़ोतरी के मामले में, सामग्री को प्रस्तावित होने के एक वर्ष पश्चात ही इसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। स्थानीय मार्केट में कीमतों पर नजर रखने की जिम्मेवारी मंडलीय प्रबंधकों एवं डिपो के प्रबंधकों पर होती है एवं किसी प्रतिकूल अंतर को सुधार के लिए मुख्यालय को रिपोर्ट की जाती है।

यद्यपि, हमने देखा कि, सीएसडी इन्वैनट्री में धारित उत्पादों की कीमतों में आई भिन्नता की निगरानी के लिए न तो कोई विशिष्ट तंत्र को स्थापित किया गया है और न ही इसकी निगरानी के लिए किसी प्रक्रिया को विकसित किया गया है। हमने पाया कि स्थानीय मार्केट में प्रचलित कीमतों की सामयिक जाँच नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वेच्छापूर्वक प्रस्ताव के आधार पर ही कीमतों में आई गिरावट की जानकारी हुई। चार मामले जहां शिकायतों को प्राप्त किया गया एवं कीमतों में आई गिरावट को सीएसडी समय रहते पता लगाने में असफल रहा, को नीचे दर्शाया गया है:

- मार्च 2012 के प्रभाव से स्थानीय मार्केट में स्कॉच विस्की टीचर्स हाईलैंड क्रीम एवं टीचर्स 50 (सूचकांक संख्या 76010 एवं 76012) की कीमतों में गिरावट आई थी। तथापि, फर्म ने सीएसडी से उच्चतर दरों पर प्रभार लेना जारी रखा एवं सीएसडी भी मूल्य में आई गिरावट को नहीं देख सका। यह सिर्फ नवंबर 2013 में शिकायत प्राप्ति के आधार पर ज्ञात हुआ जिसमें कीमत को पुन: निर्धारित किया गया तथा मार्च 2012 से जून 2014 के दौरान ₹ 4.50 करोड़ की राशि को आपूर्तिकर्ताओं से वसूला गया। इस अवधि दौरान उपभोक्ता उच्चतर कीमतों का भुगतान करते रहे।

इस मामले की जाँच करने पर पाया गया कि 2005/2008 में मंजूरी मिली दरों के पिछले संशोधन भी गलत थे चूँकि वे फर्म द्वारा प्रस्तुत स्फीति व्यापार दरों पर आधारित थे। इसके परिणामस्वरूप, जनवरी 2005 एवं जुलाई 2008 से फरवरी 2012 के बीच सांकेतिक संख्या क्रमश: 76010 एवं 76012 की आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई मात्राओं पर अतिरिक्त ₹ 8.82 करोड़ का भुगतान किया गया जिसे वसूल किया जाना शेष है।

- सीएसडी उपभोक्ताओं से नवंबर 2012 में प्राप्त शिकायत के आधार पर स्थानीय मार्केट में क्रमश: अगस्त 2011 एवं अगस्त 2009 के प्रभाव से गोवर्धन प्रिमियम घी (पेट जार 1 लिटर एवं राउंड टिन 1 लिटर) एवं गुलाब जामुन मिक्स 200 ग्राम जैसी वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट को देखा गया। इसके अनुवर्ती आपूर्तियों के लिए ₹ 76.72 लाख की राशि को मार्च 2015 में फर्म से वसूल किया गया।

- सितंबर 2014 में प्राप्त शिकायत में मेसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा स्टॉकिस्ट की तुलना में 1 किलो के डाबर च्यवनप्राश सामग्री को सीएसडी को उच्चतर दर पर बेचने की बात सामने आई। शिकायत की जाँच करने पर यह पाया गया कि स्फीति व्यापार इन्वॉइसेस के आधार पर फर्म ने कीमत के संशोधन के लिए आवेदन किया था जिसके परिणामस्वरूप 31/12/2014 तक फर्म से ₹ 1.15 करोड़ के अनुचित लाभ की आपूर्ति की गई जिसको ₹ 11.55 लाख के दंडीय प्रभार के साथ वसूल किया गया।

- अप्रैल 2010 के प्रभाव से स्कॉच विस्की जॉनी वॉकर ब्लैक लेबेल एवं रेड लेबेल (सूचकांक सं. 76025 एवं 76026) की कीमतों में गिरावट को फरवरी 2011 में आगामी संशोधन में मंजूरी के दौरान सीएसडी द्वारा देखा गया। अप्रैल 2010 से अप्रैल 2011 तक आपूर्तियों से प्राप्त की गई ₹ 16.14 लाख की राशि को तदनुसार मार्च 2014 में वसूला गया।

डीडीजीसीएस ने बताया (जुलाई 2016) कि, स्वतंत्र रूप से कंपनी द्वारा की गई घोषणा के अलावा मार्केट दरों की पहचान के लिए एक संशोधित पद्धति की खोज जारी है।
इस प्रकार, कीमत में हुई भिन्नता की निगरानी के लिए एक निश्चित तंत्र की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता कीमत में आई गिरावट से मिलने वाले लाभ को सीएसडी को देने से टालने में सफल रहे। चाहे सीएसडी ने आपूर्तिकर्ताओं से इसका कुछ अंश वसूल लिया परंतु सीएसडी के उपभोक्ता इससे वंचित रहे।

3.2.2 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्यों की गिरावट को कार्यवृत्त करने में विलंब

मई 2001 में सीएसडी (मुख्यालय) ने अपनी कीमत संशोधन प्रक्रिया को दोहराया जिसके तहत कीमत संशोधन प्राप्ति के निवेदन से 45 दिनों के अंदर सभी कीमत संशोधन संबंधी मामलों को

संपूर्ण किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में की गई गिरावट पर, कीमतों को संशोधित कर प्रावधानिक कीमत परिपत्र, सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा अविलंब जारी किया जाता है जिसकी पुष्टि मार्केट सर्वेक्षण के बाद कीमत संशोधन कमिटी (पीआरसी) द्वारा दी जाती है।

यद्यपि, हमने देखा (मार्च 2016) कि 25 मामलों में सीएसडी (मुख्यालय) ने प्रावधानिक तौर पर कीमतों को कम करने के लिए 9 से 177 दिनों का समय लिया एवं अंतिम पुष्टिकरण देने के लिए 45 से 3100 दिनों का समय लिया। इस विलंब के कारण, ₹ 11.09 करोड़ की राशि जिसमें ₹ 6.61 करोड़ को आपूर्तिकर्ताओं से बाद में वसूला गया, का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचाया जा सका जिसने सीएसडी के उद्देश्यों को असफल कर दिया।

3.2.3 सीएसडी का मूल्यों में गिरावट/वस्तुओं के एक से एक प्रतिस्थापन की मंजूरी प्रदान करने में विलंब

नई इलैक्ट्रॉनिक एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की संशोधित विशेषताओं के साथ लगातार लांच होने के कारण, सीएसडी ने 2009 में सभी नई/संशोधित एएफडी-I वस्तुओं को मार्केट सर्वेक्षण के बिना विद्यमान छूट की बेहतर दरों के साथ सभी एक से एक प्रतिस्थापन की स्वीकृति को मंजूरी दी। यह भी बताया गया कि इस प्रकार एक से एक प्रतिस्थापन के साथ कीमत में आए परिवर्तन को शीघ्रता से पीआरसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस प्रकार के सभी मामलों पर 45 दिनों के अंदर उपभोक्ताओं को तकलीफ पहुँचाए बिना निर्णय लिया जाना चाहिए।

एएफडी-I एवं सामान्य भंडार वस्तुओं की कीमतों में गिरावट/एक से एक प्रतिस्थापन से संबंधित लेखा परीक्षण से यह उजागर हुआ कि वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान मंजूरी मिली कीमत संशोधनों के कुल 854 मामलों में से 83 मामलों में सीएसडी (मुख्यालय) द्वारा स्वीकृति मिलने में 48 से 395 दिनों तक का विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप, नवीनतम/सुधारित संस्करणों के साथ ₹ 2.63 करोड़ की राशि की कीमत में आई गिरावट से मिलने वाले लाभ को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं करवाया जा सका।

सीएसडी ने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की गई कीमतों की गिरावट को क्रियान्वित करने में हुए विलंब के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

निष्कर्ष 7:

सीएसडी इंवेंट्री में रखी गई वस्तुओं की कीमत में आई भिन्नता की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट तंत्र या प्रक्रिया का विकास नहीं किया गया इसलिए आपूर्तिकर्ता कीमतों के गिरावट से प्राप्त होने वाले लाभ को सीएसडी को देने से टालने में सफल रहा। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कीमत संशोधन पर अंतिम निर्णय/अनुमोदन मिलने में विलंब के फलस्वरूप कीमत के गिरावट से प्राप्त ₹6.61 करोड़ राशि जिसे वसूला गया, का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया जा सका। इसी प्रकार,

एक से एक एएफडी-I वस्तुओं के प्रतिस्थापन के अनुमोदन में विलंब के फलस्वरूप, नवीनतम/सुधारित उपकरणों के साथ कीमत में आई ₹ 2.63 करोड़ राशि की गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

3.3 गुणवत्ता नियंत्रण

इन्वैन्ट्री रेंज में सभी वस्तुओं के प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए, देश के विभिन्न भागों में स्थित छ: समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं (सीएफएल) के माध्यम से नियमित आधार पर (छ: महीनों में एक बार) खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं का परिक्षण किया जाना चाहिए। सामान्य भंडार वस्तुओं की मुख्य नमूनों के साथ तुलना क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र (आरटीसी), राष्ट्रीय परीक्षण हाउस (एनटीएच) इत्यादि के जरिए जाँच करनी चाहिए (सभी वस्तुओं को कम से कम दो वर्ष में एक बार परीक्षण किया जाना चाहिए)।

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के सख्त क्रियान्वयन की निगरानी, जल्द परीक्षण तथा परीक्षण रिपोर्टों को सुनिश्चित करने में एक प्रभावी तंत्र को लाने की आवश्यकता जिससे कि ग्राहक घटिया वस्तुओं की खरीद से बच सके के लेखापरीक्षा के सुझावों पर मंत्रालय ने पीएसी को आश्वासन देते हुए बताया (दिसंबर 2011) कि, विद्यमान नीति के अनुसार निर्धारित अवधि पर सीएसडी इनवैंट्री रैंज की सभी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है तथा तेजी से नियमित जाँच की सुविधा के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लिया गया है एवं यह कार्य दिसंबर 2012 तक संपूर्ण किया जाएगा।

देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लायसेंस और खाद्य व्यापारों का पंजीकरण) नियम 2011 के तहत निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुसार सभी खाद्य व्यवसायिक ऑपरेटरों को पंजीकृत एवं लायसेंस होना चाहिए। यद्यपि, रक्षा मंत्रालय ने इस तर्क पर एफएसएसएआय लायसंसिग के अहाते से यूआरसी को छूट मिलने के लिए निवेदन किया कि, सीएसडी डिपो जिसके साथ यूआरसी संलग्न है, भारत के खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) के साथ लायसंसिकृत है, और वह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए) 2006 द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तदनुसार, एफएसएसएआई ने यूआरसी को छूट दी लेकिन यूआरसी द्वारा एफएसएसए, नियमों के प्रावधानों को पालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीएसडी डिपो को दी। चूँकि सीएसडी डिपो ने अपने साथ जुड़ी हुई यूआरसी से संबंधित खाद्य सुरक्षा के दायित्व को अपने उपर लिया, सभी डिपो में खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीएसडी प्रबंधन के सख्त प्रोटोकॉल को लागू करने की आवश्यकता है।

तथापि, चयनित एरिया डिपो का विश्लेषण इंगित करता है कि सीएसडी निर्धारित समय सीमा के भीतर वस्तुओं का परीक्षण करवाने में असफल रहा जिसे नीचे दर्शाया गया है:

3.3.1 निर्धारित समय-सीमा में खाद्य एवं शराब की वस्तुओं का परीक्षण न किया जाना

हमने देखा कि मंत्रालय द्वारा पीएसी को खाद्य एवं शराब की वस्तुओं के परीक्षणों के लिए परीक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के आश्वासन के बावजूद, समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं (सीएफएल) की संख्या 6 से घटकर 3 हो गई (अगस्त 2014) जो कि मुंबई, दिल्ली एवं बी डी बारी में स्थित है।

उपरोक्त वर्णित तीन में से दो समग्र खाद्य प्रयोगशालाएँ निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए आवरित एरिया डिपो के साथ सह स्थित हैं। दिल्ली एवं बीडी बारी की समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य एवं शराब से संबंधित भेजी गई वस्तुओं का ब्योरा व उसके परिणाम तालिका 10 में दर्शाए गए हैः

तालिका 10:- समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं में भेजी गई खाद्य एवं शराब से संबंधित सामग्रियाँ

वर्ष	सीएसडी एरिया डिपो दिल्ली			सीएसडी एरिया डिपो बी डी बारी		
	प्राप्त वस्तुओं की संख्या	भेजे गए नमूनों की संख्या	अयोग्य घोषित किए गए नमूनों की संख्या	प्राप्त वस्तुओं की संख्या	भेजे गए नमूनों की संख्या	अयोग्य घोषित किए गए नमूनों की संख्या
2010-11	664	435 (66)	0	439	89(20)	0
2011-12	721	479 (66)	1	487	70(14)	0
2012-13	712	282 (40)	0	513	74(14)	0
2013-14	752	403 (54)	7	577	57(10)	0
2014-15	778	461 (59)	7	622	120(19)	0
2015-16	914	352 (39)	16	690	237 (34)	0

( )वर्ष के दौरान डिपो में प्राप्त वस्तुओं के सम्मुख प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए संदर्भित वस्तुओं की प्रतिशतता

उपरोक्त तालिका 10 द्वारा देखा जा सकता है कि खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुएँ जिनका 100 प्रतिशत परीक्षण किया जाना था, दिल्ली एवं बी डी बारी द्वारा क्रमश: 39-66 प्रतिशत एवं 10-34 प्रतिशत तक परीक्षण किया गया। यह तथ्य है कि जहां परीक्षण के दौरान कुछ नमूनों को अयोग्य पाया गया, वहाँ इस बात की संभावना है कि कुछ खाद्य वस्तुएँ जो बिना परीक्षण के जारी की गई हों एवं उपयोग की गई हों, प्रमाणिक गुणवत्ता वाले नहीं भी हो सकते हैं। अत: डिपो यूआरसी तथा उपभोक्ताओं को जारी खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को आश्वासित करने में असफल रहा।

एक उदाहरण जिसने निष्कृष्ट दर्जे की वस्तुओं को जारी करने की लेखापरीक्षा की आशंका को स्थापित किया कि जब एरिया डिपो बाघडोगरा (एरिया डिपो दिल्ली के जरिए) द्वारा जनवरी 2014 में किंग फिशर बियर के नमूने को प्रयोगशाला में भेजा गया था, तो इसे उपभोग के लिए अयोग्य बताया गया। तथापि, इस दौरान, ₹ 8.43 लाख मूल्य के प्रभावित बैच का स्टॉक उपभोक्ताओं को बेचा जा चुका था।

सभी खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं को 100 प्रतिशत जाँच एवं उपयुक्त निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए, सीएसडी (मुख्यालय) ने अगस्त 2014 में निर्णय लिया कि खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं की सूची को मुख्यालय से जारी किया जाएगा एवं प्रत्येक माह की 5 तारीख तक समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं के सह स्थित सीएसडी एरिया डिपो को अग्रेषित किया जाएगा जिससे कि सभी खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं के परीक्षणों को छः महीनों में आवरित किया जा सके। तथापि, हमने देखा कि सीएसडी (मुख्यालय) परीक्षण किए जाने के लिए खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं की सूची को हर माह उत्पन्न एवं अग्रेषित करने में असफल रही। 956 खाद्य एवं शराब से संबंधित वस्तुओं की तुलना में सिर्फ 520 वस्तुओं को परीक्षण करने के लिए चयनित सूची किया गया जिसमें से 448 वस्तुओं को अगस्त 2014 से मार्च 2015 के बीच विभिन्न डिपो द्वारा प्रयोगशाला में भिजवाया गया। हमने देखा कि प्रयोगशाला 281 खाद्य वस्तुओं एवं 91 शराब से संबंधित वस्तुओं (फरवरी 2016) की गुणवत्ता पुष्टीकरण पर निर्णय प्रस्तुत नहीं कर पायी। प्राप्त की गई 76 परीक्षण रिपोर्टों में प्रयोगशालाओं ने 35 नमूनों (46 प्रतिशत) को निष्कृष्ट घोषित किया था। वर्ष 2015-16 के दौरान 1781 चयनित वस्तुओं में से सिर्फ 589 वस्तुओं को सीएसडी डिपो दिल्ली एवं बीडी बारी प्रयोगशाला द्वारा जाँच के लिए प्रस्तावित किया गया जबकि शेष 67 प्रतिशत वस्तुओं को बिना जाँचे विक्रय किया गया।

प्रतिक्रिया में डीडीजीसीएस ने बताया (जुलाई 2016) कि अतिरिक्त प्रयोगशालाओं (राज्य सरकार/गैर-सरकारी) की सूची के प्रस्ताव को शुरू किया जा चुका है, जिससे और अधिक ब्योरेवार विश्लेषण मिल जाएगा।

उत्तर तर्कयुक्त नहीं है क्योंकि पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के आधार पर यही आश्वासन पीएसी को दिया गया था लेकिन प्रयोगशालाओं की संख्या 6 से घटकर 3 हो चुकी है, फलस्वरूप परीक्षणों की सुविधाओं में सीमितता आ गई है। 46 प्रतिशत खाद्य नमूनों को निष्कृष्ट पाए जाने के परिणामस्वरूप यह मुद्दा काफी गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। इन निर्णयों ने प्रस्तावित कंपनियों की विश्वसनीयता एवं उनके द्वारा खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं।

3.3.2 पुष्टिकारक परीक्षण के बिना सामान्य भंडार वस्तुओं का ग्रहण किया जाना

2001 की नीति अनुसार, सभी वस्तुओं को कम से कम दो वर्षों में एक बार परीक्षण किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सीएसडी (मुख्यालय) सामान्य भंडारों के परीक्षणों की व्यवस्था एवं निगरानी करता है। मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था कि परीक्षण केंद्रों के साथ-साथ समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं को जो डिपो के साथ सह स्थित है को दो महीनों की समय सीमा के भीतर गुणवत्ता जाँच रिपोर्टों को अग्रेषित करने के लिए निवेदन किया गया था। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान, यद्यपि 5941 सामान्य भंडार वस्तुओं को नामित प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए

भेजा गया था जिसमें से 4366 (73 प्रतिशत) वस्तुओं पर किसी भी तरह का निर्णय प्रयोगशालाओं द्वारा नहीं दिया गया जिसे तालिका 11 में दर्शाया गया है:

तालिका 11: परीक्षणों के लिए भेजी गई वस्तुओं से संबंधित निर्णयों की स्थिति

वर्ष	प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों की कुल संख्या	वस्तुओं की संख्या जिस पर रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है	प्रतीक्षित रिपोर्ट प्रतिशत में
2010-11	1046	703	67.21
2011-12	1009	804	79.68
2012-13	1060	814	76.79
2013-14	984	564	57.32
2014-15	1044	720	68.97
2015-16	798	761	95.36
कुल	5941	4366	73.49

हमने देखा कि परीक्षण के परिणामों को शीघ्र उपलब्ध करने हेतु लिए गए उपायों का कोई भी दस्तावेज सीएसडी में मौजूद नहीं था, इससे सीएसडी द्वारा निगरानी करने में पर्याप्त कमी को दर्शाता है जो गुणवत्ता आश्वासन के लिए सभी भंडारों/वस्तुओं की जाँच के उद्देश्य् को असफल करता है। रिपोर्टों के विश्लेषण से यह उद्घाटित होता है कि प्राप्त 1575 (5941-4366) परीक्षण रिपोर्टों में 100 वस्तुओं को निष्कृष्ट घोषित किया गया एवं इन रिपोर्टों को डिपो में 5-12 महीनों के विलंब के बाद प्राप्त किया गया। इस बात की संभावना है कि उन निष्कृष्ट नमूनों से संबंधित भंडारों को यूआरसी में जारी किया गया हो तथा उसका सेवन किया जा चुका हो।

सीएसडी ने (जनवरी 2016) में कहा कि, सरकार चालित प्रयोगशाला होने के कारण, परीक्षण रिपोर्टों को देने में कोई भी समय सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता और साथ ही यह भी बताया गया (जुलाई 2016) कि, केंद्र सरकार की प्रयोगशालाओं की कमी होने के कारण परीक्षण रिपोर्टों में अत्यधिक देरी हुई एवं इसलिए कई और प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

समय सीमा की अनुपस्थिति के बारे में दिया गया उत्तर मंत्रालय द्वारा निर्धारित दो महीनों की समय सीमा से असंगत है। 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 14 की प्रतिक्रिया में, पीएसी को प्रयोगशालाओं की संख्याओं को बढ़ाने के लिए दिए गए आश्वासन गलत साबित हुए।

3.3.3 तुलनात्मक परीक्षण किए बिना सामान्य भंडार वस्तुओं का मंजूरीकरण

सीएसडी इनवेंट्री रेंज में निष्कृष्ट वस्तुओं के प्रवेश को टालने के लिए, कई सारे गुणवत्ता नियंत्रण उपाय सीएसडी द्वारा निर्धारित किए गए थे। तदनुसार, अक्तूबर 1999 में सामान्य भंडार वस्तुओं के परीक्षण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए जहाँ यह बताया गया कि डिपो से एक नमूना एवं सिविल बाजार से दूसरा नमूना परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।

हमने, तथापि, देखा कि सीएसडी में आपूर्ति की वस्तुओं की गुणवत्ता का तुलनात्मक परीक्षण बाजार में मौजूदा सामग्रियों से नहीं किया गया।

सीएसडी ने (जुलाई 2016) बताया कि सीएसडी में सूचीबद्ध सभी वस्तुओं की सिविल बाजार में मौजूदा उन्हीं वस्तुओं से गुणवत्ता परीक्षण का प्रस्ताव प्रक्रियागत है एवं परीक्षण को प्रभावी रूप से एवं तेजी लाने के लिए कई और प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह उत्तर कि प्रस्ताव अभी भी प्रक्रियागत है, इस बात की संभावना को दर्शाता है कि 1999 के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित किए जाने के बावजूद भी तुलनात्मक परीक्षण किए बिना सीएसडी द्वारा सामान्य भंडार वस्तुओं का खरीद एवं सेवन किया जा रहा है।

3.3.4 प्रायोजित आयु की सत्यता को जाँचे बिना यूआरसी को वस्तुएँ जारी करना

विनाशशील वस्तुओं से संबंधित नीति अनुसार, सीएसडी ने निर्देश दिया कि किसी भी अवस्था में डिपो प्रबंधक द्वारा विनाशशील वस्तुओं जिसका अवशिष्ट जीवन 85 प्रतिशत से कम हो, को प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, विनाशशील वस्तुओं के किसी भी भंडार को जिसका अवशिष्ट जीवन 50 प्रतिशत से कम हो यूआरसी को जारी नहीं किया जाएगा एवं यूआरसी को जारी किए गए भंडार की विनिर्माण तिथि को इंडेंट-कम-इनवॉइस में संबंधित सामग्री के सामने यूआरसी को देने एवं मूल्य अंकित करने के पहले निरपवाद रूप से दर्शाया जाएगा। विनाशशील वस्तुओं से संबंधित स्टॅक कार्डों को प्रदर्शित करने की सुनिश्चितता के सुझावों पर पीएसी के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देते समय मंत्रालय ने भी यह पुष्टि की थी कि मौजूदा नीतियों को समय-समय पर दोहराया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उपभोक्ता उस वस्तु का सेवन अवशिष्ट जीवन के भीतर कर ले। तथापि, हमने देखा कि यूआरसी को जारी किए गए इंडैट कम इनवॉइस के अभ्युक्तियों के मद में भंडार के विनिर्माण तिथि को दर्शाया नहीं गया था। यहां तक कि डिपो में स्टॅक कार्डों का अनुरक्षण नहीं किया गया और जहाँ वे थे, विनिर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच संख्या इत्यादि से संबंधित सूचनाओं से वंचित थे।

कुछ डिपो ने स्टॅक कार्डों को अनुरक्षित न रख पाने की कमी एवं यूआरसी के इंडैंट-कम-इंवॉइस में विनिर्माण तिथि को सूचित नहीं करने को स्वीकारा। कुछ डिपो ने इसका कारण मानवशक्ति की कमी एवं अतिरिक्त कार्य बोझ को इंगित किया। यह भी बताया गया कि डिपो 85 प्रतिशत से कम की अवशिष्ट जीवन वस्तुओं को कभी भी मंजूर नहीं करता एवं बैच संख्या, विनिर्माण तिथि, समाप्ति तिथि एवं अवशिष्ट आयु इत्यादि को कार्टून्स में वर्णित ब्योरों से विवेकपूर्वक ढँग से जाँचा जाता है।

एरिया डिपो द्वारा उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेबेल/कार्टूनों पर लिखि तिथि से अवशिष्ट जीवन को प्रबंधित किया जाना व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि भंडारों के अवशिष्ट जीवन से संबंधित किसी

भी रिकार्ड को अनुरक्षित नहीं रखा गया था जिससे अवशिष्ट जीवन की 50 प्रतिशत अवधि के भीतर वस्तुओं को यूआरसी को जारी करना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यह गंभीर है क्योंकि उपभोज्य एवं खाद्य सामग्रियाँ जिसमें बच्चों के खाद्य भी शामिल थें, को अवशिष्ट जीवन की सत्यता की जाँच किए बिना जारी की जा रहीं थी।

निष्कर्ष 8:

पीएसी को आश्वासन देने के बावजूद, परीक्षणों की सटे हुए सीएफएल में सीमितता तथा अतिरिक्त विश्वसनीय प्रयोगशालाओं की खोज न करने की वजह से निर्धारित नीति के अनुसार वस्तुओं के गुणवत्ता परीक्षण के लिए सीएसडी अपनी ओर से असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित चक्र पर सीएसडी द्वारा प्राप्त वस्तुओं का परीक्षण न हो सका। सीएसडी परीक्षण निर्णयों की निगरानी व प्राप्ति को समय पर सुनिश्चित करने में भी असफल रहा जिसने परीक्षण के उद्देश्य को ही विफल कर दिया। सीएसडी का एफएसएसएआय को आश्वासन कि उसके अधीन सभी यूआरसी एफएसएसए के सभी प्रावधानों, नियमों तथा अधिनियमों के पालन को सुनिश्चित करेंगे, उसकी वचनबद्धता में विश्वसनीयता की कमी को दर्शाता है क्योंकि डिपो स्वत: निर्धारित गुणवत्ता जाँचों को बनाए नहीं रख पाया।

सिफारिशें

5. मंत्रालय को सीएसडी एवं यूआरसी के आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को सख्ती से क्रियान्वयन करने के लिए प्रभावपूर्ण तंत्र को तैयार करना चाहिए ताकि एफएसएसएआई एवं उपभोक्ताओं को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया जा सके।